(10)

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

विविध (सी0एन0टी0) वाद संख्या–193/2012

श्री कलेबर महतो

–बनाम्–

इलेक्ट्रोस्टील स्टीलल्स लिमिटेड

	–:: आदेश ::–
21/01/19	अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह वाद आवेदक के द्वारा निज भूमि की बिक्री की अनुमति प्रदान करने के लिए सी0एन0टी0एक्ट की धारा–49 के तहत दाखिल किया गया है, किन्तु आवेदन के साथ किसी भी तरह का भूमि से संबंधित दस्तावेज (यथा–खतियान, केवाला, अद्यतन लगान रसीद एवं वंशावली) संलग्न नहीं है। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक वाद की सुनवाई के दौरान लगातार अनुपस्थित रहे है। उन्हें अन्तिम रूप से वांछित कागजात दाखिल करने हेतु सूचित किये जाने के बाद भी न तो उनके द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई और न ही भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज ही दाखिल किया गया है। इतनी लंबी अवधि के बीत जाने के बाद भी आवेदक के द्वारा किसी भी प्रकार का दस्तावेज दाखिल नहीं किया जाना और सुनवाई के दौरान लगातार अनुपस्थित रहना इस वाद में उनके रूची के अभाव को दर्शाता है। वर्णित परिस्थिति में आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन पत्र को खारिज किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी बोकारो। उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.02.07 17:39:19 +05:30
Location: 192.168.1.104